

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)
संचिका संख्या-12/चक0 मु0 (26-क)-02/2016(खण्ड-II)

अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण
अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार
कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के
उपरांत इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त
अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित है, की समेकन संक्रियाएं बन्द की जाती है।

अनुसूची

क्र०	अंचल	मौजा का नाम	थाना नं०
1	डुमराँव	सम्हार	153
2	ईटाढ़ी	पिथनी	487

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के विशेष सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

एस0ओ0 570 दिनांक 22/04/2024/एस0ओ0
दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के
अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के विशेष सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

Govt. of Bihar
Revenue & Land Reforms Department
Directorate of Consolidation

Notification

File No. 12/चक० मु० (26-क)-02/2016(खण्ड-II)

S.O 570 Dated 22/04/2024. In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in the units (Villages) described in the schedule annexed here to which were notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings.

Schedule

Serial no.	Name of District	Name of Anchal	Name Units (Villages)	Revenue Thana no.
1	Buxar	Dumraon	Samhar	153
2	Buxar	Itadhi	Pithni	487

By Order of the Governor of Bihar

Special Secretary of Government

अधिसूचना संख्या-12/चक० मु० (26-क)-02/2016(खण्ड-II) 570/चक०, दिनांक 22/04/2024
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (सी०डी० सहित)/अवर सचिव,
गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी० सहित) राजपत्र असाधारण अंक में
प्रकाशनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के विशेष सचिव।

अधिसूचना संख्या-12/चक० मु० (26-क)-02/2016(खण्ड-II) 570/चक०, दिनांक 22/04/2024
प्रतिलिपि - अपर समाहर्ता-सह-उप निदेशक, चकबंदी, भोजपुर/चकबंदी पदाधिकारी,
डुमराँव/ईटाढ़ी (बक्सर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के विशेष सचिव।